Terms Of Reference Consultant (N-FAMS)

Name of Division	NHM Finance Division (Financial Management Group)
Reporting to	DS (NHM-Finance)
Name of Position	Consultant (N-FAMS)
Number of Positions	Four
Location	MoHFW, New Delhi

National Health Systems Resource Centre (NHSRC), New Delhi on behalf of Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW) is seeking applications from qualified candidates for the above mentioned posts purely on contractual basis.

1. Background

National Health Mission is the umbrella programme of the Ministry of Health & Family Welfare, GOI to provide holistic public health delivery system primarily in the rural areas. The manpower support in the shape of technical assistance purely on a contractual basis is required to assist in the implementation and monitoring of the financial management systems under NHM.

2. Objective

The Consultant at the Central level would implement the roll-out of N-FAMS software at the pan India level. He/She would also monitor the fund management under flexible pools of NHM which includes RCH Flexible pool (including RI, PPI and NIDDCP), Health System Strengthening under NRHM including AB-HWC and ASHA Benefit Package, NCD Flexible Pool, NUHM Flexible Pool , Flexible Pool for NDCPs and Infrastructure Maintenance, including release of funds under these pools, monitoring of utilization of funds by the States/UTs, FMRs, SFPs, monitor the unspent balances reported by the States/UTs, integration of PFMS with N-FAMS, etc.

3. Scope of Work

Key Responsibilities:

- i. The Consultant will work in coordination with the Technical team of NIC for implementation/monitoring/roll out/training for N-FAMS in the States/UTs.
- ii. Oversee data consolidation, generation of financial MIS activity-wise, Division-wise, state-wise, quarter and year-wise and generation of comparative statements with reference to percentage of allocation, release and expenditure, etc.
- iii. Preparation of financial year wise Guard Files of sanction orders for RCH Flexible Pool (including RI, PPI and NIDDCP)HSS (including HWC, ABP), corresponding to the Sanction Orders and overall settlement of UCs with PAO, MoHFW.
- iv. Electronic transfer of funds to the States/UTs through NHM Finance dash board and N-FAMS software, website updation and maintenance of centralized fund transfer data-base for all programmes under NHM.

Other Responsibilities

- (i) Monitoring receipt of FMRs, Statement of Funds Position and Monthly/quarterly Concurrent Audit Report from States/UTs and provide feedback on the trend of funds allocation, release and expenditure.
- (ii) Monitoring Statutory Audit process, timely receipt of Consolidated Audit Reports and Utilisation certificates, examination thereof and obtaining compliance from the respective States/UTs.
- (iii) Compilation of component-wise funds utilisation data base for various programmes under NHM.
- (iv) Analysis of data relating to funds utilization, audited utilization certificates, trends of expenditure, pattern of utilization among the intra-RCH and NRHM components as per FMR format.
- (v) Preparation of FMR & Audit Analysis Reports for NRHM programmes and their circulation to respective Programme Divisions of the Ministry and States/UTs for comments.
- (vi) Interaction with Programme Divisions viz. NUHM, NDCPs and NCD, etc. relating to their progressive funds release and expenditure and obtaining the prescribed monthly status reports from them.
- (vii) Review of financial processes in the States/UTs with reference to NHM financial management guidelines and suggesting improvements therein.
- (viii) Joint Team Visits to States for finance, accounts and audit performance review, specific financial studies and preparing Reports with observations & recommendations for improvement.
- (ix) Conduct training & capacity building workshops including PFMS, N-FAMS for the State/District/block level finance/accounts staffs from time to time and providing technical assistance to States/UTs.

(x) Provide information and data support regarding Parliament Questions/Committees, RTI, VIP references, CAG & DGACE audits etc. from time to time.

4. Outputs

Timely action on all tasks and responsibilities and submission of a detailed report to Dy. Secretary (NHM-Finance) at the end of every quarter of action taken and proposed to be taken.

5. Qualifications and experience

MBA (Finance) or PGDBM/PGDBA (Finance) from a recognized Institution preferably with a degree in Commerce/Science/Economics from a recognized university.

Experience of at least 5 years in finance and accounts matters in social and private sector. Knowledge of computerized accounting packages, preferably **PFMS**, MS Office, MS Word, MS Power Point would be desirable.

Age: The applicant should be below 45 years.

6. Travel and subsistence

The Consultant should be ready to travel extensively to State/District/Block/village levels. All travels must be authorized in advance by the DY. Secretary (NHM-Finance) in advance. While travelling, the consultant will receive a fixed per diem allowance for boarding/lodging expenses as per the rules of NHSRC or the GOI rules.

7. Reporting Requirements

The Consultant will submit a report to the Dy. Secretary (NHM-Finance) at the end of every quarter.

8. Consultancy period

The contract period will be upto 31st March 2022. The contract period may be extended subject to satisfactory performance. The consultancy can, however, be terminated by either party by giving a notice of one month in writing.

9. Remuneration

The Consultant will be paid a consolidated monthly remuneration of Rs.60,000/- to Rs. 1,20,000/- on the basis of qualifications and experience as may be decided by the Joint Selection Board of the GOI, Development Partner and other nominated subject experts. If engaged and paid through GOI budget, the remuneration shall be decided by the MoHFW Selection/Review Committee on the basis of conditions prevailing at the time of open advertisement for that purpose. The Consultant shall not be entitled to any other benefits, payment, subsidy, compensation or pension, except as expressly provided in the consultancy agreement. The Consultant shall not be exempt from taxation and shall not be entitled to reimbursement of any taxes which may be levied as per existing rules on the remuneration received.

How to apply: Candidates are requested to fill the online application correctly which is available on the NHSRC website (http://nhsrcindia.org). Applications will be accepted in the prescribed online application format only. The last date for receiving applications is **10-May-2021.**

निबंधन एवं शर्ते परामर्शदाता (एन-एफएएमएस)

प्रभाग का नाम	एनएचएम वित्त प्रभाग (वित्तीय प्रबंधन समूह)
नियंत्रण अधिकारी	उप सचिव (एनएचएम-वित्त)
पद का नाम	परामर्शदाता (एन-एफएएमएस)
पदों की संख्या	चार
तैनाती का स्थान	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पूर्णतः संविदा आधार पर उपर्युक्त पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

1. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगपूर्ण जन-स्वास्थ्य सुविधा प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक व्यापक कार्यक्रम है। एनएचएम के तहत वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन और उनकी निगरानी में सहयोग करने के लिए तकनीकी सहायता के रूप में पूर्णतया संविदा आधार पर कार्मिकों की आवश्यकता है।

2. उद्देश्य

केंद्रीय स्तर पर परामर्शदाता अखिल भारतीय स्तर पर एन-एफएएमएस साफ्टवेयर का कार्यान्वयन करेगा। वह एनएचएम के फ्लेक्सिबल पूल्स के अंतर्गत निधि प्रबंधन की भी निगरानी करेगा। जिसमें आरसीएच फ्लैक्सिबल पूल (आरआई,पीपीआई एवं एनआईडीडीसीपी सिहत), एबी-एचडब्ल्यूसी तथा आशाकर्मी लाभ पैकेज सिहत एनआरएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढीकरण, एनसीडी फ्लैक्सीबल पूल, एनयूएचएम फ्लैक्सीबल पूल, एनडीसीपी संबंधी फ्लैक्सीबल पूल तथा इन पूल्स के अंतर्गत निधियां जारी करने सिहत अवसंरचना अनुरक्षण, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों के उपयोग की निगरानी, एफएमआर, एसएफपी, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित अव्ययीत शेष राशियों की निगरानी, पीएफएमएस के एन-एफएएमएस के साथ एकीकरण आदि शामिल है।

3. कार्य क्षेत्र

मुख्य जिम्मेदारियां:

- (i) परामर्शदाता राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में एन-एफएएमएस के कार्यान्वयन/ निगरानी/शुरूआत/ प्रशिक्षण के लिए एनआईसी के तकनीकी दल के समन्वय में कार्य करेगा
- (ii) समग्र डेटा समेकन, क्रियाकलाप वार, प्रभाग-वार, राज्य-वार, तिमाही और राज्य-वार, तिमाही और वर्ष- वार वित्तीय एमआईएस का सृजन करना और आवंटन, जारी राशि तथा व्यय के प्रतिशत के संदर्भ में तुलनात्मक विवरणों का सृजन करना।
- (iii) आरसीएच फ्लैक्सीबल पूल (आरआई, पीपीआई और एनआईडीडीसीपी सहित) एचएसएस (एचडब्ल्यूसी, एबीपी सहित) के लिए स्वीकृती आदेशों की वित्त वर्ष- वार गार्ड फाइल्स तैयार करना, स्वीकृत आदेशों से संबंधित पत्र व्यवहार करना और पीएओ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ यूसी का पूर्ण निपटान करना।
- (iv) एनएचएम वित्त- डैशबोर्ड और एन-एफएएमएस के जरिए राज्यों/ संघ राज्यो क्षेत्रों को निधियों का इलैक्ट्रोनिक हस्तांतरण करना, वेबसाइट को अध्यतन करना तथा एनएचएम के अंतर्गर्त सभी कार्यक्रमों के लिए केंद्रीत निधि हस्तांतरण डेटा-बेस का अनुरक्षण करना।

अन्य जिम्मेदारियां:

- (i) एफएमआर की प्राप्ति, राज्यों / संघ राज्यों क्षेत्रों से निधि की स्थिति के विवरण और मासिक/ त्रैमासिक समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट की निगरानी करना तथा निधि आवंटन, जारी राशि और व्यय की प्रवृत्ति पर फिडबैक प्रदान करना।
- (ii) सांविधिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी, समेकित लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाणपत्रों की समय पर प्राप्ति, उनकी जांच और संबंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से अनुपालना प्राप्त करना।
- (iii) एनएचएम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए घटक-वार निधियों के उपयोग के डेटा बेस का संकलन करना।
- (iv) निधि उपयोग, लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र, व्यय की प्रवृत्तियों, एफएमआर प्रारूप के अनुसार इंट्रा-आरसीएच और एनआरएचएम घटकों के बीच उपयोगिता पैटर्न से संबंधित डेटा का विश्लेषण करना।
- (v) एनआरएचएम कार्यक्रमों के लिए एफएमआर और लेखा परीक्षा विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करना तथा टिप्पणियों के लिए मंत्रालय और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित कार्यक्रम प्रभागों को इन्हें भेजना।
- (vi) कार्यक्रम प्रभागों अर्थात् एनयूएचएम, एनडीसीपी और एनसीडी आदि के साथ उनकी प्रगामी जारी निधियों एवं व्यय के संबंध में वार्तालाप करना तथा उनसे निर्धारित मासिक स्थिति रिपोर्ट प्राप्त करना।
- (vii) एनएचएम वित्तीय प्रबंधन के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में वित्तीय प्रक्रियाओं की समीक्षा करना और उनमें सुधार के लिए सुझाव देना।

- (viii) वित्त, लेखों और लेखा परीक्षा कार्य निष्पादन समीक्षा, विशिष्ट वित्तीय अध्ययन के लिए राज्यों का संयुक्त दल दौरा और सुधार के लिए टिप्पणियों और सिफारिशों के साथ रिपोर्ट तैयार करना।
- (ix) समय-समय पर राज्य/ जिला/ ब्लॉक स्तरीय वित्त/ लेखा कर्मचारियों के लिए पीएफएमएस, एन-एफएएमएस सहित प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करना तथा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- (x) समय-समय पर संसदीय प्रश्नों/ समितियों, आरटीआई, वीआईपी रैफरैंस, कैग और डीजीएसीई लेखा परीक्षाओं आदि के संबंध में सूचना एवं डेटा सहायता प्रदान करना।

4. आउटपुट (कार्य-निष्पादन)

सभी कार्यों एवं जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना और प्रत्येक तिमाही के अंत में उप सचिव (एनएचएम-वित्त) को की गई कार्रवाई और प्रस्तावित कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

अर्हताएं और अनुभव

मान्यताप्राप्त संस्थान से एमबीए (वित्त) या पीजीडीबीएम/ पीजीडीबीए (वित्त) और वरीयत: मान्यताप्राप्त विश्विद्यालय से वाणिज्य/ विज्ञान/ अर्थशास्त्र में डिग्री।

सामाजिक और निजी क्षेत्र में वित्त और लेखा मामलों में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव। कंप्यूटरीकृत, लेखाकंन पैकेजों, वरीयत: पीएफएमएस, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावरपॉइंट का ज्ञान वांछनीय होगा।

आयु: आवेदक की आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।

6. यात्रा एवं निर्वाह

परामर्शदाता को राज्य/जिले/ब्लॉक/ग्राम स्तरों पर व्यापक रूप से यात्रा करने हेतु तैयार रहना चाहिए। सभी यात्राएं उप-सचिव (एनएचएम-वित्त) द्वारा अग्रिम रूप से अधिकृत होनी चाहिए। यात्रा के समय परामर्शदाता को एनएचएसआरसी या भारत सरकार के नियमानुसार बोर्डिंग/ लॉजिंग पर हुए व्यय के लिए निर्धारित दैनिक भत्ता देय होगा।

7. रिपोर्टिंग की अपेक्षाएं

परामर्शदाता प्रत्येक तिमाही के अंत में संबंधित उप-सचिव (एनएचएम- वित्त) को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

8. परामर्श सेवा की अवधि

संविदा की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2022 तक होगी। संविदा की अवधि के कार्य निष्पादन संतोषजनक होने पर बढ़ायी जा सकती हैं। तथापि, परामर्श सेवा दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा लिखित रूप में एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

9. पारिश्रमिक

परामर्शदाता को उसकी अर्हताओं एवं अनुभव के आधार पर भारत सरकार के संयुक्त चयन बोर्ड, विकास साझेदार तथा अन्य मनोनीत विशेषज्ञों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रतिमाह 60,000/- से 1,20,000/- रु. के बीच समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। यिद उन्हें नियोजित किया जाता है और भारत सरकार के बजट के माध्यम से भुगतान किया जाता है तो, उस प्रयोजन के लिए पारिश्रमिक के संबंध में खुले विज्ञापन के समय विद्यमान स्थितियों के आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की चयन/समीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। परामर्शदाता परामर्श सेवा करार में स्पष्ट रूप से उल्लिखित लाभों को छोड़कर किसी अन्य लाभ, भुगतान, सब्सिडी, मुआवजे या पेंशन के लिए पाज्ञ नहीं होगा। परमार्शदाता को कर भुगतान से छूट नहीं दी जाएगी और उसे प्राप्त पारिश्रमिक पर मौजूदा नियमों के अनुसार लगाए गए करों की प्रतिपूर्ति का पात्र नहीं होगा।

आवेदन करने के लिएः अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे एनएचएसआरसी की वेबसाइट (<u>http://nhsrcindia.org</u>) पर उपलब्ध आवेदन को ठीक से भरें। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन आवेदन प्रारूप में ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि **10-May-2021** है।